कोष के साथ आसान शर्तों पर दो करारों पर हस्ताक्षर किए थे:

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार के अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 76 बिलियन जापानी येन। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरवाहा और श्रावस्ती तथा बिहार में बौद्धगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली अभिनिर्धारित किए गए स्थल हैं।

(2) महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण और पर्यटन विकास योजना के लिए 3.75 बिलियन जापानी येन।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष अग्रिम रूप से उपलब्ध नहीं होता है। कार्यान्वयन अभिकरण यथा राज्य सरकार पहले अपने संसाधनों से खर्च करती हैं और बाद में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करती हैं।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार परियोजना के अधीन कार्य के घटकों में, राष्ट्रीय तथा राज्योय राजमार्गों का उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण करना, स्मारकों के इर्द-गिर्द भू-दृश्यांकन करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना तथा विद्युत व जल आपूर्ति को बढ़ाना शामिल है। उत्तर प्रदेश के लिए 42.19 करोड़ रु० की तथा बिहार के लिए 36.78 करोड़ रु० की राशि की पहले ही प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

जहां तक महाराष्ट्र में परियोजना का संबंध है, महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विकास तथा संरक्षण कार्यों पर क्रमशः 7.77 करोड़ रु० तथा 0.27 करोड़ रु० खर्च किए हैं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी अजन्ता और एलोरा परियोजना के अन्तर्गत औरंगाबाद हवाई-अड्डे के विस्तार पर 8.31 करोड़ रु० खर्च किए हैं। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से उपयुक्त दावों की प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा की जाती है।

Setting up of International Airport in Punjab

333. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to set up a new International Airport at Jalandhar in Punjab during the year 1996-97;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to set up an International Airport in the State?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No, Sir.

(b) and (c) The airstrip at Jalandhar belongs to Ministry of Defence and they have declined the proposal for operating civil/international flights from that airfield due to security reasons. Besides, Indira Gandhi International Airport at Delhi has adequate capacity to cater to the international traffic requirements of the region and can be further expanded to meet the future demands as well.

Misuse of plots in Qutab Institutional Area in New Delhi

334. SHRI GAYA SINGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is afact that the Delhi Development Authority has issued notices to some institutes for misuse of plots allotted to them in the Qutab Institutional Area in Delhi; and

(b) if so, the details thereof and further action being taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT DEPARTMENT OF (URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI S. S. AHLUWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) Details of institutes to which notices have been issued for misuse of plots allotted in Qutab Institutional Area in Delhi are given in the Statement (*See* below). Action for cancellation of lease deed has been initiated against the defaulter allottees/lessees under the terms and conditions of lease deed.

Statement

S. No.	Name of the Society	Locality	Nature of misuse
1.	Automobile Associatioin Upper India	C-8, Qutab Anstl. Area	Rented out to electric company.
2.	Ganesh Natya sala	C-16, -do-	Rented out to Craft & Electronic Co.
3.	Gurunanak Foundation	A-5, -do-	Rented out to ABS (Multi National)
4.	United School Organisation	A-13, -do-	Rented out to Hostel facilities.
5.	Nagri Parcharini Sabha	A-16, -do-	Rented out to Odin Apple (Computer) & SRF
6.	Institute of Socialist Education	A-1, -do-	Rented out to Canara Bank, Restaurant & Hostel.
7.	Fertilizer Association of India	A-3, -do-	Rented out to Rallies India.
8.	All India Federation of the Deaf	A-4, -do-	Rented out to Wahakal Advertising Agency.

उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े मामले

335. **श्रीनागमणि:**
श्री राजनाथ सिंह:
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हुए हैं और कितने मामले स्वीकृति की अवस्था में लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या ये मामले उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1.12.1995 को उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या निम्नलिखित

नियमित मामले (फाइलों की वास्तविक सं०)	ग्रहण किए जाने वाले मामले (फाइलों की वास्तविक सं०)
21,357	15,811

(ग) से (ङ): उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले मुकदमों की अधिक तेजी से बढ़ती संख्या, रिट अधिकारिता का अन्धाधुन्ध सहारा लेना, रिक्तियों को भरने में विलम्ब, आदि जैसे अनेक विविध और जटिल बातों के कारण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों, जैसे मामलों का अधिक व्यवहारिक प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण, न्यायपीठों का स्थिरीकरण, पुराने लम्बित प्रकीर्ण और विशेष इजाजत याचिकाओं के मामलों के लिए अधिक और पर्याप्त अवसर देना, उपलब्ध कम्प्यूटर नेटवर्क का बेहतर उपयोग तथा प्रतिदिन कार्य-समय में आधे घंटे की वृद्धि, से पहले ही परिणाम दिखलाई पड़ने लगे हैं और लम्बित मामलों में कमी होने का रुझान द्रष्टव्य है। इस समय न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

713/SEC-5B,